रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062021-227386
CG-DL-E-05062021-227386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2021/ज्येष्ठ 14, 1943
No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2021/JYAISTHA 14, 1943

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

(राष्ट्रीय महत्ता की संस्था, संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2021

सं.आरसीबी/एए/2021/01.—क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 के 36वें) की धारा 32 की उप–धारा (4) के अनुसार अपेक्षित वर्ष 2019–20 के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र का वार्षिक लेखा तथा लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र

राशि (रु. में)

निधि के स्रोत	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	650,749,409	576,503,654
नामित/चिह्नित/अक्षय निधि	2	–	–
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	1,655,289,308	1,489,084,474
कुल		2,306,038,717	2,065,588,128
निधि का उपयोग	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
अचल परिसंपत्तियां	4	1,412,742,927	1,246,051,277
मूर्त परिसंपत्तियां		535,882,655	555,355,443
अमूर्त परिसंपत्तियां		1,681,272	1,177,569
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (बॉयोटेक साइंस कलस्टर)		875,179,000	689,518,265
चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश	5	–	–
दीर्घकालीन		–	–

अल्पकालीन		–	–
अन्य निवेश	6	619,043,926	521,817,706
वर्तमान परिसंपत्तियां	7	66,008,642	71,668,053
ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	208,243,222	226,051,092
कुल		2,306,038,717	2,065,588,128
लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियां	23		
आकस्मिक देयताएं	24		

अनुसूची 1 से 24 लेखों का अभिन्न अंग हैं।

ह.	ह.	ह.	ह.
(रीतेश अग्रवाल)	(विवेक अग्रवाल)	(डॉ. दीपिका भास्कर)	(डॉ. सुधांशु व्रती)
आंतरिक लेखापरीक्षक	वित्त अधिकारी	कुलसचिव	कार्यपालक निदेशक

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा

राशि (रु. में)

आय	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
शैक्षिक आय	9	53,47,602	28,09,111
अनुदान/सब्सिडी	10	29,20,00,000	23,52,70,777
निवेश से आय	11	-	-
अर्जित ब्याज	12	1,13,113	-
अन्य आय	13	1,31,11,414	97,63,057
पूर्वावधि आर्य	14	-	19,96,929
आस्थगित आय–अचल परिसंपत्तियां	4	6,98,79,738	4,66,68,435
कुल (क)		**38,04,51,867**	**29,65,08,309**
व्यय			
कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15	9,66,36,571	6,78,72,066
शैक्षिक व्यय	16	1,14,55,714	1,30,22,426
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	13,98,59,963	10,91,37,054
परिवहन व्यय	18	23,75,677	37,68,556
मरम्मत एवं अनुरक्षण	19	2,56,02,952	2,03,64,841
वित्तीय लागत	20	89,419	6,728
मूल्यह्रास	4	6,98,79,738	4,66,68,435
अन्य व्यय	21	-	-
पूर्वावधि व्यय	22	2,13,01,069	2,22,80,101
कुल (ख)		**36,72,01,103**	**28,31,20,208**
व्यय पर आय से अधिक शेष (क–ख) नामित निधि से/में अंतरण		1,32,50,764	1,33,88,101
भवन निधि		**-**	**-**
अन्य (दर्शाएं)		-	-
शेष आधिक्य/(हानि) पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया		**1,32,50,764**	**1,33,88,101**
लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियां	23		
आकस्मिक देयताएं	24		

अनुसूची 1 से 24 लेखों का अभिन्न अंग हैं।

ह.	ह.	ह.	ह.
(रीतेश अग्रवाल)	(विवेक अग्रवाल)	(डॉ. दीपिका भास्कर)	(डॉ. सुधांशु व्रती)
आंतरिक लेखापरीक्षक	वित्त अधिकारी	कुलसचिव	कार्यपालक निदेशक

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

अनुसूची 23: 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय–व्यय लेखा का भाग बनाने वाली लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां

1. वर्षिक लेखा को एक्सट्रामूरल तथा अन्य परियोजना अनुदान के अतिरिक्त लेखाकरण की प्रोद्भूत प्रणाली के संशोधित प्रारूप में बनाया गया है।

2. चूंकि दिनांक 01.03.2017 को आरसीबी के बिल पारित किए जाने तथा उसके बाद सितंबर 2017 के दौरान स्वीकृत परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमों को अधिसूचित किए जाने के उपरांत केन्द्र में ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयताओं को आरसीबी की अनुमोदित सेवा शर्तों के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित वित्तीय वर्ष2019–2020 के लिए लेखों में शामिल किया गया है।

3. (क) आवृति अनुदानों को आय–व्यय लेखों में मान्यता दी गई है तथा गैर–आवृति अनुदानों को पूंजी के भाग के रूप में दर्शाया गया है।

   (ख) मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित कोर निधियों के लिए अनुदान को आस्थगित आय मानते हुए इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि के व्यवस्थित एवं विवेकशील आधार पर इनको आय एवं व्यय खातों में मान्यता दी जाती है अर्थात ऐसे अनुदान को उस अवधि तथा अनुपात में बतौर आय आबंटित किया जाता है जिसके लिए मूल्यह्रास (लेखा मानक 12 के अनुसार) लिया गया है। इस प्रकार के अनुदान से संबंधित वर्ष के दौरान 7,01,24,781.37 रु. की राशि को बतौर आय मान्यता प्रदान की गई ।

4. (क) आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों की स्थापना / उपयोग में लाने की तिथि से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। विगत वर्ष के दौरान निर्धारित दर के अनुसार ही मूल्यह्रास लिया गया है।

   (ख) मूल्यह्रास अधिग्रहित वर्ष के दौरान लिया गया है तथा बेची गई / उपयोगीहीन परिसंपत्तियों के लिए वर्ष के दौरान मूल्यह्रास नहीं दिया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों से प्राप्तियों / कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर लिया जाता है।

5. (क) जैवप्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त मुख्य अनुदानों से स्थायी परिसपंत्तियां सृजित की गई हैं। परियोजना निधियों से आपूर्तिगत किसी भी उपकरण को अभी तक पूंजीगत नहीं किया गया है।

   (ख) स्थायी परिसंपत्तियों को आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर एवं अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक तथा प्रत्यक्ष खर्च सहित लागत अधिग्रहण में दर्शाया जाता है।

6. रसायन, शीशे का सामान, उपभोग्य पदार्थ तथा लेखन सामग्री को वर्ष के अंत में भंडार शेष की गणना किए बिना खरीद के समय ही इनका उपभोग दर्शाया गया है।

7. इसके अतिरिक्त खातों में उपभोज्य / उपकरणों या अन्य स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद से संबंधित सभी प्रविष्टियों को संतोषजनक जांच / स्थापना रिपोर्ट जमा करने के समय ही पारित किया जा रहा है भले ही आपूर्तियों/उपकरणों की वास्तविक प्राप्ति की तिथि अन्यथा रही हो।

8. विदेशी मुद्रा में की गई लेनदेन को अमुक लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

9. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक निर्मुक्तियों से इतर विभिन्न लेखा शीर्षों के अतर्गत स्वीकृत बजट के अनुसार संस्थान की विभिन्न परियोजनाओं पर आवृति व्यय हेतु एक नीति है। चूंकि प्रायोजित एजेंसी द्वारा जारी वास्तविक धनराशि विभिन्न घटकों के अधीन होती है, इसलिए यह राशि अनुमोदित खाता शीर्षों पर परियोजना की संपूर्ण स्वीकृति की परिसीमा में ही व्यय की जा रही है।

10. विगत वर्ष के शेष को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित कर संबंधित शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

11. प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कंसलटेन्ट (इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथासूचित एनसीआर बीएससी में अन्य भवनों के साथ–साथ संस्थान के भवन निर्माण पर खर्च तथा आकस्मिक उपरिव्यय को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में जोड़कर पीएमसी द्वारा अंतिम किए गए खातों के जमा करने के बाद ही भवन के साथ पूंजीगत किया जाता है। यह परियोजना एक समझौते के तहत संचालित की जा रही है जिसमें एनसीआर बॉयोटेक साइंस क्लस्टर द्वारा एक एस्क्रो अकाउंट का प्रचालन निश्चित किया गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन कंसलटेन्ट) है।

12. संस्थान को फरीदाबाद स्थित परिसर के निर्माण के चरण 1 व चरण 2 (विस्तार) हेतु विभिन्न संस्थानों से 4652.95 लाख रु. (आरसीबी सहित) अंशदान प्राप्त हुआ है। इसके समेकित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	घटक भागीदार	1.4.2019 को आरंभिक शेष	2019–20 के दौरान प्राप्ति	31.3.2020 को कुल प्राप्तियां
1.	टीएचएसटीआई	450.00	0.00	450.00
2.	टारसीबी	369.00	81.00	450.00
3.	बॉयो–इंक्यूबेटर	567.00	3161.00	3728.00
4.	बीएससी निधियों के निवेश पर ब्याज	20.10	4.85	24.95
	कुल	1406.10	3246.85	4652.95

13. 500 लाख रुपये की अग्रिम राशि एनसीआरसी बीएससी के एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर चरण III निर्माण कार्य के लिए टीएचएसटीआई को हस्तांतरित किए गए, जो छात्रावास, खेल केंद्र और उपयोगिता ब्लॉक (जी फ्लोर) के काम से संबंधित है।

14. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य लेखाबद्ध किए गए हैं जिसमें टीएचएसटीआई, आरसीबी, एनआईआई, एटीपीसी, बॉयो–इंक्यूबेटर के पूर्वनिर्मित प्रयोगशाला भवन, छात्रावास तथा संकाय आवास एवं चरण I और चरण– II विस्तार के तहत टीएचएसटीआई, आरसीबी की सामान्य सुविधाएं आदि के लिए हैं। चरण– I के तहत व्यय संबंधित अंशधारकों को उनके योगदान और क्षेत्रवार व्यय के अनुसार हस्तांतरित किया गया।

15. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान बैंक खाते और सावधि जमा पर अर्जित 125.98 लाख रुपये के ब्याज को प्रो–राटा आधार पर संबंधित परियोजनाओं को आवंटित किया गया।

अनुसूची 24 – आकस्मिक देयताएं

1. वर्ष 2019–2020 के दौरान आर्डर किए गए 1,29,90,064.00 रु. की राशि के उपभोज्य पदार्थों के परचेज ऑर्डर दिनांक 31.03.2020 तक बकाया हैं जिन्हें बहीखातों में मान्यता नहीं दी गई है।

2. वर्ष 2019–2020 के दौरान आर्डर किए गए 2,35,95,146.00 रु. की राशि के उपकरणों के परचेज ऑर्डर दिनांक 31.03.2020 तक बकाया हैं जिन्हें बहीखातों में मान्यता नहीं दी गई है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने आरसीबी अधिनियम, 2016 की धारा 32 (1) के साथ पठित लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी), फरीदाबाद के संलग्न 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण आरसीबी प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखापद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण से संबंधित लेखा व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलु, इत्यादि, के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हों, तो इन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत अपेक्षा की जाती है कि हम वित्तीय विवरणों के सभी प्रकार की तथ्यजनक भ्रांतियों से मुक्त होने के बारे में कारणोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना तैयार कर उसे निष्पादित करें। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटन हेतु उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की नमूना जांच आधार पर परीक्षण करना सम्मिलित होता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा प्रदत्त राय हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित करते हैं कि :

(i) हमने समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, सिवाये उनके जो रिपोर्ट में उल्लिखित हैं, प्राप्त किए हैं जो हमारे विवेकानुसार इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, आय–व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खातों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है;

(iii) हमारी राय में, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर, आरसीबी द्वारा बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों को ठीक प्रकार से बनाए रखने की उचित व्यवस्था की है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:

क. तुलनपत्र

क. 1. परिसंपत्तियां

क. 1.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 4 – 124.60 करोड़ रु.)

उपरोक्त में वर्ष 2019–20 के दौरान क्रय की गई 4.33 करोड़ रु. की परिसंपत्तियां शामिल नहीं है। फलस्वरूप समग्र निधि/पूंजीगत निधि सहित अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत समान रूप से 4.33 करोड़ रु. की राशि का कम दर्शाया जाना दृष्टिगोचर हुआ है। वर्ष के दौरान इन परिसंपत्तियों पर 0.45 करोड़ रु. के मूल्यह्रास तथा संबंधित व्यय को भी तदनुसार कम दर्शाया गया।

क.1.1.2 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (87.52 करोड़ रु.)

उपरोक्त में 68.95 करोड़ रु. की अचल परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं (मार्च 2016 में पूर्ण कर केन्द्र को सौंप दी गई थीं)। इन वर्षों के दौरान भी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं लिया गया। इस प्रकार, फर्नीचर तथा फिक्सचर; प्रयोगशाला उपकरण; कार्यालय उपकरण तथा भवनों की राशि

क्रमशः 0.02 करोड़ रु., 0.19 करोड़ रु., 0.03 करोड़ रु. तथा 87.27 करोड़ रु. कम दर्शायी गई है जबकि प्रगतिशील कार्य की राशि 68.95 करोड़ रु. अधिक दर्शायी गई है।

ख. आय एवं व्यय

ऋण, अग्रिम एवं जमा (20.82 करोड़ रु. – अनुसूची 8)

उपर्युक्त में एफडीआर पर 0.52 करोड़ रु. के प्रोद्भुद ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, वर्तमान परिसंपत्तियों तथा जमा राशि 0.52 करोड़ रु. कम दर्शायी गई।

ग. अनुदान सहायता

आरसीबी को वर्ष 2019–20 के दौरान डीबीटी से 41.20 करोड़ रु. का कुल अनुदान प्राप्त हुआ, इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के 2.04 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान को आगे ले जाया गया है। वर्ष के दौरान खर्च के लिए 43.26 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध थी, आरसीबी ने वर्ष के दौरान 40.25 करोड़ रु. खर्च किए। इस प्रकार केन्द्र के पास 31 मार्च 2020 को 3.00 करोड़ रु. का अंतःशेष उपलब्ध था।

घ. सामान्य

घ.1 एक्सट्रामूलर निधि तथा अन्य परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्राप्त निधियों को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। इन निधियों को प्रोद्भुद आधार पर लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। डीबीटी से प्राप्त मुख्य अनुदान को ही लेखांकन की प्रोद्भुद प्रणाली में तैयार किया जाता है।

घ.2 केन्द्र, जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पोषित मुख्य अनुदान से तथा एक्स्ट्रामूलर परियोजनाओं जो मुख्य रूप से डीबीटीएवं एवं कुछ अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से वित्त पोषित हैं, निधि प्राप्त करता है। केन्द्र इन निधियों के लिए अलग खाते नहीं रखता है। वर्ष 2019–20 के दौरान अप्रयुक्त संचयी निधियों को सावधी जमा में निवेश किया गया। इस प्रकार की संचयी निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि (2.14 करोड़ रु.) को वर्ष के अंत में पूर्व निर्धारित फार्मूला पर पुनर्विनियोजित किया गया तथा मुख्य अनुदान पर अर्जित ब्याज (1.80 करोड़ रु.) निर्धारित करने के उपरांत अनुसूची 7 में जैवप्रौद्योगिकी विभाग को तदनुसार सूचित किया गया। मुख्य अनुदान तथा परियोजना अनुदान के लिए अलग–अलग खाता तैयार किया जाना चाहिए।

ड़. प्रबंधन पत्र

अलग–अलग ऑडिट रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (RCB), फरीदाबाद के संज्ञान में लाया गया है।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित हमें प्रस्तुत किए गए तुलनपत्र, आय–व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता बहीखातों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय और प्राप्त सूचना तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण जो उक्त वर्णित उल्लेखनीय विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन हैं, के आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के लिए सत्य एवं स्पष्ट निरूपण प्रकट करते हैं:

(क) जहां तक 31 मार्च 2020 तक आरसीबी के क्रियाकलापों के तुलनपत्र का संबंध है, एवं

(ख) जहां तक उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय–व्यय खातों से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

दिनांकः **15.12.2020**

स्थान : नई दिल्ली

महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वैज्ञानिक विभाग)

अनुलग्नक – 1

क. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

मार्च 2017 तक की अवधि के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) की आंतरिक लेखापरीक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की गई।

वर्ष 2014–17 तक की अवधि के लिए एक टिप्पणी तथा वर्ष 2017–19 की अवधि के लिए 8 टिप्पणियां अगस्त 2020 तक लंबित थीं।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

ख.1 केन्द्र द्वारा निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया।

ख.2 केन्द्र द्वारा सावधी जमा रजिस्टर तैयार नहीं किया गया।

ख.3 न तो कैशबुक निर्धारित प्रारूप में तैयार की जा रही है और न ही सांविधिक प्रमाण–पत्र रिकार्ड किए जा रहे हैं अथवा इनसे संबंधित जांच की जा रही है।

ख.4 बैंक समाशोधन विवरण

आरसीबी, फरीदाबाद के निम्नलिखित बैंक खातों के बैंक समाशोधन विवरणों (बीआरएस) से असमाशोधित विवरण निम्नानुसार विदित हुए हैं:

बैंक खाता संख्या	असमाशोधित राशि (रु.)
आईसीआईसीआई खाता संख्या 054801002857	31725
आईसीआईसीआई खाता संख्या 349301000051	3269274
आईसीआईसीआई खाता संख्या 349301000051	121712865

31 मार्च 2020 तक 125013864 रु. की राशि के चैक जारी किए गए जिन्हें बैंकों में जमा नहीं किया गया। इसी प्रकार चैक प्राप्ति पर उनका नकदीकरण नहीं किया गया था।

ग. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच प्रक्रिया

आरसीबी में अचल परिसंपत्तियों के लिए जीएफआर–22 फार्म में नियम 211 (ii) (a) के अनुसार रजिस्टर नहीं बनाया गया है, यह भी देखा गया कि अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच कभी नहीं की गई है।

घ. वस्तु सूची की भौतिक जांच प्रक्रिया

31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए उपभोग्य मदों तथा सामग्री की भौतिक जांच की जा चुकी है तथा कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई।

ड. अनुपूरक लेखापरीक्षकों की अनियमित नियुक्ति

आरसीबी ने बोर्ड की अनुपूरक/आरोपित लेखापरीक्षा हेतु दिनांक 31.12.2018 को स्वेच्छा से मैसर्स एएसकेएम एंड एसोसिएट्स की नियुक्ति की, जो अनियमित थी। (सीएजी पेनल में शामिल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएजी कार्यालय की अनुमति लेने तथा तदुपरांत डीपीसी अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अंर्तगत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था जिसे आरंभ में ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था)।

उप निदेशक (निरीक्षण)

अनुलग्नक

च. आय एवं व्यय

i. व्यय (अनुसूची 17 – प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय – 13.99 करोड़ रु.)

उपर्युक्त में 0.06 करोड़ रु. का व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है, फलतः इसे विदेश यात्रा व्यय में कम दर्शाया गया है तथा समान रूप से स्थापना/अन्य प्रशासनिक व्यय में अधिक दर्शाया गया है।

आकस्मिक देयताएं – अनुसूची 24

वर्ष 2019–2020 के दौरान आर्डर किए गए 0.69 करोड़ रु. की राशि के उपभोज्य पदार्थों के परचेज ऑर्डर अगस्त 2020 तक बकाया हैं। आरसीबी ने इन्हें अपनी आकस्मिक देयताओं में सूचित नहीं किया है।

सीएजी कार्यालय की टिप्पणियों के उत्तरों की सारणी

क्रम सं.	पैरा	प्रश्न	उत्तर
1	क.1.1 अचल परिसंपत्तियां	इसे एसएआर में दर्शाया जाए।	दर्शाया गया।
2	क.1.1.2	इसे एसएआर में दर्शाया जाए।	दर्शाया गया।
1	ख.1	इसे एमएल में स्थानांतरित किया जाए।	सुझाव के अनुसाार एमएल में स्थानांतरित किया गया।
	ख. 2	इसे एसएआर में दर्शाया जाए।	दर्शाया गया।
2	ग	इसे एमएल में स्थानांतरित किया जाए।	सुझाव के अनुसाार एमएल में स्थानांतरित किया गया।
3	अनुलग्नक 1 ख	रजिस्टरों के रखरखाव का अनुपालन न किया जाना। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की एक	लेखापरीक्षा में इस कमी का उल्लेख दो बार अर्थात 2018–19 और 2019–2020 में किया गया है।

		महत्वपूर्ण कमी है। इस कमी के बारे में कितनी बार सूचित किया गया है? इसका अनुपालन न किए जाने, कारण तथा परिणामों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।	
4	अनुलग्नक 1 ड़	इसे अलग से मंत्रालय/एबी में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रबंधन ने अगने वर्ष में इसके अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।	एबी को प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

उप निदेशक (निरीक्षण)

डॉ. प्रसेनजीत गुच्छैत, कुलसचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./76/2021–22]

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY
(Institution of National Importance set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2021

No. RCB/AA/2021/01.—The Annual Accounts of the Regional Centre for Biotechnology for the year 2019-20 and Auditors report thereon are published as required under Section 32 (4) of the Regional Centre for Biotechnology Act 2016 (36 of 2016).

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2020

Amount (in Rs.)

SOURCES OF FUNDS	SCHEDULE	31.03.2020	31.03.2019
CORPUS / CAPITAL FUND	**1**	650,749,409	57,65,03,654
DESIGNATED/EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**2**	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	**3**	1655,289,308	1,489,084,474
TOTAL		2,306,038,717	2,065,588,128
APPLICATION OF FUNDS	**SCHEDULE**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
FIXED ASSETS	**4**	**1,412,742,927**	**1,246,051,277**
TANGIBLE ASSESTS		535,882,655	555,355,443
INTANGIBLE ASSETS		16,81,272	11,77,569
CAPITAL WORK IN PROGRESS (BIOTECH SCIENCE CLUSTER)		875,179,000	689,518,265
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**5**	-	-
LONG TERM		-	-

SHORT TERM		-	-
INVESTMENTS OTHERS	**6**	**619,043,926**	**521,817,706**
CURRENT ASSETS	**7**	**66,008,642**	**71,668,053**
LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	**8**	**208,243,222**	**226,051,092**
TOTAL		**2,306,038,717**	**2,065,588,128**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS	23		
CONTINGENT LIABILITIES	24		

Schedules 1 to 24 form an integral part of Accounts.

(REETESH AGARWAL) (VIVEK AGARWAL) (DR. DEEPIKA BHASKAR) (DR. SUDHANSHU VRATI)
INTERNAL AUDITOR FINANCE OFFICER REGISTRAR EXECUTIVE DIRECTOR

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

Amount (in Rs.)

INCOME	**Schedule**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
Academic Receipts	9	53,47,602	28,09,111
Grants/Subsidies	10	29,20,00,000	23,52,70,777
Income from Investments	11	-	-
Interest Earned	12	1,13,113	-
Other Income	13	1,31,11,414	97,63,057
Prior Period Income	14	-	19,96,929
Deferred Income-Fixed Assets	4	6,98,79,738	4,66,68,435
TOTAL (A)		**38,04,51,867**	**29,65,08,309**
EXPENDITURE			
Staff Payments & Benefits (Establishment expenses)	15	9,66,36,571	6,78,72,066
Academic expenses	16	1,14,55,714	1,30,22,426
Administrative and General Expenses	17	13,98,59,963	10,91,37,054
Transportation expenses	18	23,75,677	37,68,556
Repairs & Maintenance	19	2,56,02,952	2,03,64,841
Finance costs	20	89,419	6,728
Depreciation	4	6,98,79,738	4,66,68,435

Other expenses	21	-	-
Prior Period Expenses	22	2,13,01,069	2,22,80,101
TOTAL(B)		**36,72,01,103**	**28,31,20,208**
Balance being excess of Income Over Expenditure (A-B) Transfer to/ from Designated Fund		1,32,50,764	1,33,88,101
Building Fund		-	-
Others (Specify)		-	-
Balance being surplus/(Deficit) carried to capital Fund)		**1,32,50,764**	**1,33,88,101**
Significant accounting policies and Notes to Accounts	23		
Contingent Liabilities	24		

Schedules 1 to 24 form an integral part of Accounts.

(REETESH AGARWAL) (VIVEK AGARWAL) (DR. DEEPIKA BHASKAR) (DR. SUDHANSHU VRATI)
INTERNAL AUDITOR FINANCE OFFICER REGISTRAR EXECUTIVE DIRECTOR

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

Schedule 23: Accounting Policies and Notes Forming Parts of the Balance Sheet and Income & Expenditure Account for the Year Ended at 31st March, 2020

1. The annual accounts have been prepared in the revised format of accrual system of accounting, except for extramural funds and other project grants.

2. Since the RCB bill has been passed and notified on 1.3.2017 and thereafter the Statutes, Ordinances and regulations approved during September 2017, the liabilities on account of Gratuity & leave encashment of the Centre has been incorporated in the accounts for FY 2019-20 in accordance with the approved service conditions of the RCB, based on actuarial valuation.

3. (a) Recurring Grants have been recognised in the Income & Expenditure account and non-recurring Grants have been shown as part of capital.

   (b) Grants for core funds relatable to depreciable fixed assets are treated as deferred income and recognised in the Income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants are allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation in charged (As per Accounting Standard 12). During the year income recognised in respect of such Grants amounts to Rs. 7,01,24,781.37

4. (a) The depreciation has been provided w.e.f. the date of installation/put to use of fixed assets as per the rates prescribed by Income Tax Act 1961. During the previous year depreciation has been charged at per rate prescribed.

   (b) Depreciation has been charged during the year of acquisition and no depreciation is provided during the year of assets sold / discarded. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis. Rate of depreciation is annexed.

5. (a) Fixed assets have been created with core grants received from the Department of Biotechnology. No equipment procured out of project funds have yet been capitalized.

   (b) Fixed Assets are stated at cost acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

6. All purchases of chemicals, glassware, consumables and stationary have been charged to consumption at the time of purchase without working out closing stock at the end of the year.

7. Further all entries relating to purchase of consumables /equipments or other fixed assets in accounts are being passed only at the time of submission of satisfactory inspection/installation report irrespective of the date of actual receipt of the supplies / equipments.

8. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of transaction.

9. The institute has a policy of incurring expenditure on various projects in accordance with the sanctioned budget under various heads of accounts irrespective of the actual releases during a financial year. Since the actual release of money by the sponsoring agency is subject to various factors, the expenditure on approved heads of accounts is being incurred within the overall sanction of the project.

10. The balances of the previous year have been rearranged as per requirement and shown in Balance Sheet against the relevant heads.

11. Expenses and Overheads incidental to construction of building of institute as well as other buildings in the NCR BSC, as reported by the Project Monitoring Consultant (Engineers India Limited), are added to the capital work in progress to be capitalized along with the building, only on submission of final accounts by the PMC. The project is being operated with an agreement which stipulates operation of an Escrow Account by NCR Biotech Science Cluster. The authorized signatories are Engineers India Ltd. (Project Management Consultant)

12. The Institute has received contribution of Rs. 4,652.95 Lakhs (including RCB) from various institutes for the under Phase II of the construction of campus at Faridabad. The consolidated details are as under:

(Rs. In lakhs)

Sl.No	Constituent Partner	Opening Balance as on 1.4.2019	Received during 2019-20	Total receipts on 31.3.2020
1	THSTI	450.00	0.00	450.00
2.	RCB	369.00	81.00	450.00
3.	NCR – BSC Project	567.00	3161.00	3728.00
4.	Interest on investment of BSC funds	20.10	4.85	24.95
	Total	**1406.10**	**3246.85**	**4652.95**

13. Advance of Rs. 500 Lakhs transferred to THSTI for construction of NCR Bio-tech Science Cluster Phase III construction work of NCR BSC, which relates to the work of Hostel, Sports Centre and Utility Block (G Floor).

14. The Capital Work-in-progress booked in the accounts includes the construction of laboratory buildings of ATPC, Bio-incubator and hostels & faculty housing and common facilities etc. of THSTI, RCB, under Phase-I Extension and Phase-II. The expenditure under Phase-I was transferred to the respective stakeholders as per their contribution and area wise expenditure.

15. Interest earned on saving bank account and fixed deposits during the financial year 2019-20 of Rs.125.98 Lakhs has allocated to the respective projects on pro-rata basis.

Schedule 24: Contingent Liabilities

1. Purchase orders for consumables worth Rs.1,29,90,064.00 ordered during 2019-20 are outstanding as on 31.3.2020 which have not been recognized in the books of accounts.

2. Purchase orders for Equipment worth Rs. 2,35,95,146.00 ordered during 2019-20 are outstanding as on 31.3.2020 which have not been recognized in the books of accounts.

(Vivek Agarwal) **(Dr. Deepika Bhaskar)** **(Dr. Sudhanshu Vrati)**
Finance Officer **Registrar** **Executive Director**

Place: Faridabad
Date: 22/06/2020

Separate Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Regional Centre for Biotechnology, Faridabad for the year ended 31 March 2020

We have audited the attached Balance Sheet of Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad at 31 March 2020 and the income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971

read with Section 32 (1) pf RCB Act, 2016. These financial statements are the responsibility of the RCB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspections reports/ Comptroller and Auditor General 's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit is also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that –

   (i) We have obtained all the information and explanations except those stated in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   (ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India;

   (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by RCB, except those stated in this audit report.

   (iv) We further report that:

A. BALANCE SHEET

A 1 Assets

A..1.1 Fixed Assets (Schedule 4- Rs. 124.60 crore)

Above does not include assets amounting to Rs. 4.33 purchased during 2019-20. Fixed assets were therefore understated by Rs. 4.33 crore and Corpus/Capital fund was also understated by the same amount. Depreciation of Rs. 0.45 crore chargeable on these assets during the year and corresponding expenditure was also understated.

A.1.1.2 Capital Work in Progress (Rs. 87.52 crore)

Above included fixed assets (completed and handed to the Centre in March 2016) amounting to Rs. 68.95 crore. The assets were not depreciated during these years also. Thus Furniture & Fixture; Lab Equipment; Office Equipment and Buildings were understated by 0.02 crore; 0.19 crore; 0.03 crore and Rs. 87.27 crore while work in progress was overstated by Rs. 68.95 crore.

B. Income and Expenditure

Loan, Advances and Deposits (Rs. 20.82 crore – Sch.8)

Above did not include accrued interest amounting to Rs. 0.52 crore on FDR. Therefore, the current assets as well as Deposits were understated by Rs. 0.52 crore.

C. Grants-in-Aid

RCB received total grant of Rs. 41.20 crore from DBT during 2019-20, besides having carried forward unspent grant of Rs. 2.04 crore for the year 2018-19. Rs. 43.26 crore was available for expenditure during the year. RCB utilized Rs. 40.25 crore during the year leaving a closing balance of Rs. 3.00 crore on 31st March 2020.

D. General:

D.1 The accounting of extramural funds and other project grants received by the Centre is done on cash basis. Accounting of these fund should be done on accrual basis. Only core grants received from DBT are prepared in the accrual system of accounting.

D.2 The Centre receives funds against core grants- funded by DBT and extra-mural projects – primarily funded from DBT and from some other funding agencies. The Centre does not keep these funds in separate accounts. The cumulative unutilized funds were deposited in fixed deposits during 2019-20. The interest accrued on such cumulative funds (Rs. 2.14 Crore) was further apportioned at the end of the year on a pre-decided formula and interest on core grants was decided and reported to DBT (Rs. 1.80 crore) in Schedule 7 after such exercise. The Centre should keep these funds in separate accounts.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad through a Management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Regional Centre for Biotechnology, Faridabad as at 31 March 2020; and
b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Date: 15.12.2020
Place: New Delhi

For and on behalf of CAG of India

Director General of Audit
(Environment and Scientific Departments)

Annexure-I

A. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of the Regional Centre for Biotechnology (RCB) was conducted by the Internal Audit wing of Ministry of Science & Technology, New Delhi for a period up to March 2017.

One observation pertaining to the report for the year 2014-17 and 08 observations pertaining to the report for the year 2017-19 were outstanding as of August 2020.

B. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies in relation to internal control system were observed:

B.1 Investment register was not maintained by the Centre.

B.2 Fixed Deposit Register was not maintained by the Centre.

B.3 Cash Book was being maintained in the prescribed format nor were any statutory certificates recorded or checks being conducted on the same.

B.4 Bank Reconciliation Statement

Bank Reconciliation Statement (BRS) of the following bank accounts of RCB, Faridabad revealed un-reconciled amount as detailed below:

Bank Account No.	Un-reconciled amount (in Rs.)
ICICI A/c No. 054801002857	31725
ICICI A/c No. 349301000051	3269274
ICICI A/c No. 349301000051	121712865

Cheques amounting to Rs. 125013864/- lying un-reconciled as on 31 March 2020 due to cheques issued but not presented and cheques received but not encashed.

C. System of Physical Verification of Fixed Assets

Register of Fixed Assets was not being maintained in RCB as per Rule 211 (ii) (a) in Form GFR-22, it was further observed that physical verification of fixed Assets has never been conducted.

D. System of Physical verification of inventory

The Physical verification of Consumable items and materials had been carried out for the period upto 31 March 2020 and no discrepancy was reported.

E. Irregular appointment of supplementary auditors

RCB has appointed Chartered Accountants on its own – M/s. ASKM & Associates appointed on 31.12.2018 for conducting supplementary/ superimposed audit of the Board which was irregular. The usual process of seeking the permission of CAG office for appointment of CAG empanelled auditors followed by the autonomous bodies audited under section 14 and 15 of the DPC Act was also not followed which would have ruled out such an appointment in the very beginning.

Dy. Director (Insp.)

Annexure

I. Income and Expenditure

i. Expenditure (Sch. 17 – Administrative and General Expenditure – Rs. 13.99 Crore)

Above does not include the expenditure of 0.06 crore resulting in understatement of the foreign travel expenditure and overstatement of establishment/ other administrative expenses by the same extent.

ii. **Contingent Liabilities – Sch. 24**

The purchase orders on consumables which were ordered during 2019-20 amounting to Rs. 0.69 Cr. were still outstanding as on August 2020. RCB did not report the same as its Contingent Liabilities.

Statement of replies to the observation raised by CAG office

S. No.	Para	Query	Reply
1	A 1.1 Fixed Assets	It may be retained in SAR	Retained please.
2	A 1.1.2	It may be retained in SAR	Retained please.
1	B.1	It may shifted to ML	Shifted to ML as suggested.
	B.2	It may be retained in SAR	Retained please.
2	C	It may shifted to ML	Shifted to ML as suggested.
3	Annexure I B	A general lack of compliance on register maintenance. This is an important internal control weakness. How many times has this been pointed out? It is important to get an idea of the persistence of noncompliance, its reasons, and consequences.	This discrepancy was pointed out by the Audit twice i.e. 2018-19 and 2019-20.
4.	Annexure I E	It may also take up separately with ministry/ AB. The management has noted for compliance in next year.	Letter to AB has been drafted.

Dy. Director (Insp.)

Dr. PRASENJIT GUCHHAIT, Registrar
[ADVT.-III/4/EXTY./76/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.05 16:56:37 +05'30'